

Handwritten notes on the left margin.

संसाधन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय

पिबडी नदी अधिकारी: श्री हरिप्रसाद शर्मा (R.A.S.)

ड.सं. 64/11

दाया

अज्ञान

श्रीमति सुमित्रा शर्मा पति राधेश्याम शर्मा
निवासी बगलपुर मुदे वट. सांगोद जिला केस,
राज. हाल बुधवार मन्सी (म.प्र.) - दाया

बख्त

1. इमराम पुत्र बन्नालाल जाति बगल निवासी
मेरुपुरा चौकी (बोरवा) वट. बगल जिला बगल, राज.
2. मेरुलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति बगल निवासी चौकी
उपखंड मंडी समिति के पास बगल वट. बगल जिला
3. गणेशराम पुत्र [हरिप्रसाद जाति बगल निवासी
4. रामकुमार पुत्र [चौकी बोरवा वट. बगल जिला
5. गणेश चंद केस बगल
6. रवी चंद पुत्री हरिप्रसाद केस जोषल जाति बगल
निवासी चौकी बोरवा वट. बगल जिला बगल
7. मंगी चंद पुत्री हरिप्रसाद जाति बगल निवासी
चौकी बोरवा वट. बगल जिला बगल
8. कल्याणी चंद पुत्री हरिप्रसाद पति बाबू जाति
बगल निवासी दाइपंथी की चौकी बगल
9. अंजना पुत्र बन्ना जाति बगल निवासी चौकी
बोरवा वट. बगल जिला बगल
10. नरेश चंद केस बगल जाति बगल निवासी चौकी
बोरवा वट. बगल जिला बगल
11. रामदयाल [पुत्र बगल जाति बगल निवासी
12. मलवीर [चौकी बोरवा वट. बगल जिला बगल
13. विरधी चंद पुत्री बगल पति बाबूलाल जाति बगल
निवासी बगल की 42 देवस्थान के बाहर के पास
पुष्प के. का. नरु मेरिब हाल सांगोद रोड
केसपुरा केस जिला केस
14. कृष्णावती पुत्री बगल पति रामचंद्र जाति बगल
निवासी चरेल वट. सांगोद जिला केस
15. अंजु चंद पुत्री बगल पति अशोक कुमार जाति
बगल निवासी उपखंड पी. अंजु के बगल के पीछे सिंधी
कलेज बगल जिला बगल

अधिकारी
बगल


16. श्री बई पुत्री कन्या पति हरलाल जति माली
निवासी जयवाड़ा तह. विहारगंज विद्या कक्षां-
17. जयवान सरकार जयि तहसीलदार कक्षां
- जयवादीगण

दाया संकेत कक्षा 88, 89, 90, 91, 92, 93, 188 RTA
उपरिगत. - श्री बाबुलाल कंठवादी

अन्तिम निर्णय दिनांक 24/10/19

उपरिक्त जयवानी प्रकरण में दिनांक 28/6/19 को प्राथमिक डिप्टी कम कक्ष में पारित की जाकर बाद वादकी अपील कर दिया जाकर विवादित जयवानी ग्राम अंकपुरा बाँकी अफ. नं. 1047 रकबा 0.47 हे. अफ. नं. 1048 रकबा 0.41 हे. अफ. नं. 1115 रकबा 0.43 हे. में वादकी सुमिया कंठ के 1/3 हिस्से का बहालदार घोषित कर जयवादीगण के जय न्याई निवेदाया पाठित किया गया कि वादकी के कले कक्ष में दस्तावेजी का कर, तहसीलदार कक्षां वादकी के 1/3 हिस्से का बंटवारा कर एक ब्यापे दब कर ले बंटवारा प्रभाव घोषित करें। उक्त कक्ष में प्राथमिक डिप्टी पारित की गई थी।

तहसीलदार कक्षां से विद्यमान प्रभावित कक्ष के पारत हे कि ग्राम अंकपुरा बाँकी अफ. नं. 1047 रकबा 0.47 हे. 1048 रकबा 0.41 हे. 1115 रकबा 0.43 हे. कुल जिला वीर रकबा 1.31 हे. सुमिया कंठ जिला राधेश्याम जति बीजा निवासी जयवादी सुमिया के हे. 1/3 का बहालदार घोषित किया गया है। ग्राम अंकपुरा बाँकी में वादकी के पारत राधेश्याम बीजा की अंगुली में बंकि पर कले कक्ष अनुसार बंटवारा प्रभाव निम्न प्रकार से किया गया। जयवान में उक्त अफ. नं. 1048 रकबा 0.41 हे., 1115 रकबा 0.43 हे. सुमिया अफ. नं. पुत्र कन्याल जति माली सा. देह तथा 1047 रकबा 0.47 हे. मन्. क्तिर पुत्र केतकीलाल हे. 37 रामकुमार पुत्र क्तिर, नली कंठ, कल्याणी कंठ पुत्रियां जीवर, माली कंठ पति स्व. जीवर जति माली सा. देह के नाम जयवान जयवानी अनुसार ब्यापे में दब है।


जयवादी अधिकारी

इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव इस प्रकार
प्रस्तुत किये जाये हैं कि

1) सुबिषा कई पतिन राधेश्याम जाति बीना साहित्य
कपाकर रुकुंद के लिसे स्व.गं. 1048 रकबा 0.41 है
सम्पूर्ण

2) श्याम प्रसाद बन्नालाल जाति माली सा. देह
स्व.गं. 1115 रकबा 0.43 है. सम्पूर्ण

3) नन्दकिशोर प्रसाद बनेनकीलाल हिं. 3/7 रामकुमार प्रसाद
बीरपुर के स्व.गं. 1047 रकबा 0.47 है. सम्पूर्ण

उक्त बंटवारा प्रस्ताव कबले काबल अनुसार पत्र
पर भिजवाये जाये हैं।

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर ककील वादनी
को एकपक्षीय सुना गया। ककील वादनी ने उक्त
विभाजन प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति व्यक्त की
तथा इसी सुनाविक अंतिम इच्छा पारित किये
जाते का कथन किया।

अतः सुनाविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम
इच्छा अनुसार की पारित की जाती है कि
श्याम बंरुपुरा जाति की आरावी स्व.गं. 1048 रकबा
0.41 है. सम्पूर्ण वादनी सुबिषा कई पतिन राधेश्याम
बीना विषयी कपाकर रुकुंद के एक रुकते देवी
किये जाते तथा सुत्रक से कोण निर्धारण के
आदेश दिये जाते हैं तथा जलियादीगण को जय
स्वाधी निवेदाशा पारंद किया जाता है कि बादनी
के कबले में इसी प्रकार की मदारपलत बाले
स्पर्श करे न अपने जलिनधि से करवाये अंतिम
इच्छा जारी है।

अंतिम निर्णय साव दिनांक 24/10/19
के हमारे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दीरालाल बीना)
ज्य. स्व. अधिकारी
वाराणसी

